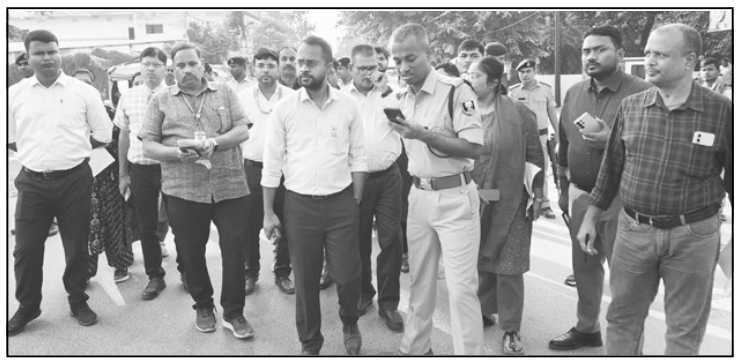
सोनपुर मेला में अब नहीं भटकेंगे श्रद्धालु, हर जोन में मिलेगी सुविधा

डीएम-एसएसपी ने किया संयुक्त निरीक्षण, पांच सौ शौचालय, जोनवार पार्किंग और रोशनी का निर्देश



हाजीपुर/सोनपुर (कोर्ट)। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जिला प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को छोटे-छोटे जोन में बांटकर हर जोन में शौचालय, पेयजल, रोशनी और पार्किंग की व्यवस्था करने की रणनीति बनाई है। शनिवार को सारण जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कर इसको लेकर सख्त निर्देश दिए।

दोनों अधिकारियों ने प्रशासनिक कैंप से लेकर मेला परिसर तक पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहा अंधेरा है, कहां सड़क टूटी है और कहां अतिक्रमण है, इसका मौके पर ही नोट लेकर संबंधित विभागों को सुधार करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार मेला क्षेत्र में कम से कम पाच सौ अस्थायी शौचालय बनाए जाएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इन्हें पच्चास स्थानों पर दस-दस के क्लस्टर में लगाया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय, वॉश बेसिन और 24 घंटे जलापूर्ति की व्यवस्था रहेगी। साफ-सफाई और रखरखाव के लिए अलग टीम तैनात की जाएगी।

पेयजल के लिए जगह-जगह प्वाइंट और टैंकर लगाए जाएंगे। रात्रि में सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए पूरे मेला क्षेत्र तथा वहां तक पहुंचने वाले सभी प्रमुख संपर्क मार्गों पर स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट लगाई जाएगी। अंधेरे वाले स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर रोशन किया जायेगा।

वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग के लिए बड़े मैदानों को चिह्नित किया जा रहा है। इन स्थलों को समतल कर अतिक्रमणमुक्त बनाया जाएगा, ताकि वाहनों के प्रवेश-निकास में परेशानी न हो और स्थानीय नागरिकों के आवागमन में बाधा न आए।

दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन की व्यवस्था होगी। इसके लिए खाली पड़ी सरकारी जमीन की जमाबंदी का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। प्रमुख सड़कों की मरम्मत कर किनारे बैरिकेटिंग की जाएगी, ताकि पैदल श्रद्धालुओं को सुरक्षित कॉरिडोर मिल सके।

वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भीड़ और यातायात प्रबंधन के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है। जिला प्रशासन का लक्ष्य सोनपुर मेले को स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार बनाना है। साथ में सोनपुर

जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

राघोपुर में तीन ईंट भट्ठों पर 5.62 लाख का जुर्माना

ईंट-सत्र 2026-27 शुरू होते ही डीएम के निर्देश पर चला सघन निरीक्षण

हाजीपुर (आससे)। ईंट-सत्र 2026-27 के 15 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होने के आलोक में जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर खनन विभाग ने राघोपुर प्रखंड में ईंट भट्ठों का सघन निरीक्षण किया।

राघोपुर प्रखंड में कुल 6 ईंट भट्टे अवस्थित हैं। शनिवार को किए गए निरीक्षण में 3 भट्टे बंद पाए गए, जबकि 3 संचालित भट्ठों पर अनियमितताएं मिलीं।

अनियमितताओं के आधार पर बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली के नियम 56(2) के तहत दंड अधिरोपित किया गया। अभय ब्रिक्स पर 2,02,230 रुपये, कमला ब्रिक्स पर 1,30,005 रुपये और राधा ब्रिक्स पर 2,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कुल 5,62,235 रुपये का दंड लगाया गया।

इसके अतिरिक्त बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग की ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना को लेकर सभी भट्ठा संचालकों को जागरूक किया गया। उन्हें सूचित किया गया कि जिन भट्ठों के विरुद्ध पूर्व में नीलाम पत्रवाद दायर है, वे शीघ्र जिला खनन कार्यालय, वैशाली में उपस्थित होकर वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें।

राघोपुर के अलावा अन्य प्रखंडों में भी नियमित रूप से निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

शरद पूर्णिमा पर कौमुदी महोत्सव आज हाजीपुर में गुलजार होगी कवियों की महफिल

हाजीपुर (आससे)। शरद पूर्णिमा के अवसर पर आज हाजीपुर में 80वें कौमुदी महोत्सव के तहत विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। किरण मंडल (पुराना) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की तैयारी को लेकर शुक्रवार को बेटी विद्यायन कार्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रो. डॉ. दामोदर प्रसाद सिंह ने की, जबकि संचालन महासचिव डॉ. महेंद्र प्रियदर्शी ने किया। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि कवि सम्मेलन आज शाम 5 बजे बागमाली स्थित बेटी विद्यायन परिसर के राष्ट्रकवि दिनकर सभागार में आयोजित होगा। कार्यक्रम में दिल्ली से राहुल शिवाय, बनारस से डॉ. वर्षा रानी, देवघर से अनिल कुमार झा, समस्तीपुर से हरि नारायण सिंह हरि, पटना से डॉ. अभिलाषा सिंह, मुजफ्फरपुर से प्रो. डॉ. दिव्या सहित दर्जन भर नामचीन रचनाकार अपनी कविताओं और गजलों से महफिल को गुलजार करेंगे।

डीएम की पहल पर रुका बाल विवाह, परिवार से लिया शपथ पत्र



हाजीपुर (आससे)। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह की त्वरित पहल से सराय थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची का बाल विवाह रुक गया। शुक्रवार 23 अक्टूबर को बाल विवाह की सूचना मिलते ही डीएम ने धावा दल का गठन कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। मौके पर पहुंची टीम ने बच्ची और उसके माता-पिता की काउंसलिंग कर बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया। परिवार से भविष्य में बाल विवाह नहीं करने का शपथ पत्र लिया गया। साथ ही स्थानीय मुखिया से भी शपथ पत्र लिया गया। विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास से यह संभव हो सका।

डीएम वर्षा सिंह ने जिलावासियों से अपील की है कि बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बच्चों का बचपन सुरक्षित रखना और उन्हें शिक्षा के अवसर देना हमारा दायित्व है। बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि कहीं भी बाल विवाह की आशंका हो तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

पिस्तौल दिखाकर सोने की चेन और नकदी छीनी, दो घायल

राजापाकर। थाना क्षेत्र के पोखरैरा गांव निवासी जफर हसन खान के पुत्र फिरोज खान ने पिस्तौल का भय दिखाकर सोने की चेन और पैसा छीनने का आरोप लगाते हुए राजापाकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें एक नामजद समेत तीन-चार अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। फिरोज खान ने बताया कि वह चचेरे भाई जैद खान के साथ शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे सब्जी खरीदने भलुई हाट जा रहा था। पचई पटनिया टोला के पास पहले से घात लगाए बैकुंठपुर निवासी स्व. पंडुक राय के पुत्र श्याम सुंदर राय और तीन-चार अज्ञात लोगों ने घेर लिया। पिस्तौल दिखाकर जेब से 500 रुपये नकद और गले से सोने की चेन छीन ली। विरोध करने पर मारपीट की गई। श्याम सुंदर राय ने पिस्तौल के बट से सिर पर मारा, जिससे सिर फट गया। छुरा से हमला किया, जिससे बांह कट गई। बचाने आए जैद खान को भी हाथ, छाती, पीठ और पैर पर मारकर जख्मी कर दिया। राहगीरों को आते देख सभी भाग गए। दोनों को सीएचसी राजापाकर में भर्ती कराया गया। थानाध्यक्ष गौरीशंकर बैठा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी की जा रही है।

वैशाली में नशामुक्त बिहार अभियान का मुख्यमंत्री 27 को करेंगे शुभारंभ

डीएम के नेतृत्व में चार चरणों में होंगे जागरुक्ता कार्यक्रम

हाजीपुर (आससे)। मुख्यमंत्री द्वारा 27 अक्टूबर को पटना के अधिवेशन भवन में राज्यव्यापी नशामुक्त बिहार अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। 26 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत वैशाली में जिला पदाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह के नेतृत्व में व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिला प्रशासन विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और गतिविधियों के अनुश्रवण पर विशेष ध्यान देगा। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक कर जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। शुभारंभ के अवसर पर जिले के चयनित कॉलेज या छात्रावास में कार्यक्रम होगा, जिसमें विद्यार्थी और जिला स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ेंगे और नशामुक्ति की शपथ लेंगे। जिले में अभियान चार चरणों में चलेगा।

कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पर सघन वाहन जांच शुरू

डीएम ने गति सीमा पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की



हाजीपुर (आससे)। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन सड़क पर परिवहन विभाग की टीम द्वारा वाहनों की सघन जांच और निगरानी की जा रही है। इसका उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है। डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सड़क सुरक्षा के मानकों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती बरतने को कहा गया है। डीएम ने वाहन चालकों से अपील की है कि सभी निर्धारित गति सीमा का पालन करें, यातायात नियमों का उल्लंघन न करें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी न केवल स्वयं बल्कि अन्य लोगों की जान भी जोखिम में डालती है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

जेसीबी से ध्वस्त की अस्थायी दुकानें

सोनपुर (कोर्ट)। सोनपुर में रेल प्रशासन की ओर से शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया.इस दौरान महेश्वर चौक से लेकर गजग्राह चौक तक सड़क किनारे लगाई गईं अस्थायी दुकानों को हटाया गया.अभियान में जेसीबी मशीन के साथ रेल प्रशासन के कर्मचारी और पुलिस बल के जवान मौजूद रहे.कार्रवाई के दौरान जेसीबी की मदद से कई अस्थायी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे दूकानदारो में अफरा-तफरी का माहौल रहा.रेल प्रशासन की इस कार्रवाई से सड़क किनारे दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले छोटे दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. दुकानदारों का कहना है कि दुकानें हटाए जाने और सामान क्षतिग्रस्त होने से उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. कई दुकानदारों के सामने अब परिवार की रोजी-रोटी चलाने का संकट खड़ा हो गया है।

बिहार सरकार

किलकारी
बिहार बाल भवन
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना– 800004

'प्रशिक्षक/तकनीकी कर्मी' हेतु निविदा आमंत्रण

बिहार बाल भवन 'किलकारी' में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मियों (प्रशिक्षक/तकनीकी कर्मी) की सेवा लेने की आवश्यकता है। इच्छुक, निबंधित एवं अनुभवी एजेन्सी/फर्म/कम्पनी से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर मुहरबंद लिफाफे में अलग-अलग तकनीकी एवं वित्तीय निविदा हाथों-हाथ, निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से किलकारी बिहार बाल भवन, सैदपुर, राजेन्द्रनगर पटना– 800004 के पते पर आमंत्रित किया जाता है। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रपत्र एवं दिशा-निर्देश किलकारी वेबसाइट www.kilkaribihar.in से प्राप्त कर सकते हैं।

दूरभाष सं० 9031845710

PR- 014197 (B & C) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार। (प्रशासी पदाधिकारी)

कार्यालय, नगर परिषद्, बखरी (बेगूसराय)
अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–02/2026–27

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी छठ पर्व 2026 एवं काली पूजा के अवसर पर नगर परिषद्, बखरी के सभी घाटों पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, ड्रोन कैमरा, बैरिकेटिंग, टेंट, साउण्ड, रंग रोगन, पहूँच पथ का मरम्मति, चेंजिग रूम, घाटों के पहूँच पथ का सजावट, बैनर-पोस्टर, कंट्रोल रूम एवं अन्य व्यवस्था किया जाना है। इच्छुक निबंधित व्यक्ति दिनांक–02.11.2026 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपना कोटेशन दर दे सकते है।

इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान व्यवसायी जो उपरोक्त कोटेशन उपलब्ध कराना चाहते है वे दिनांक–02.11.2026 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कोटेशन मुहरबन्द लिफाफा में 02:30 बजे अपराह्न तक दे सकते है। जो दिनांक–02.11.2026 को 03:30 बजे सशक्त स्थायी समिति के समक्ष कोटेशन दर खोला जाएगा। जिसमें उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें। विस्तृत जानकारी के लिए बेवसाईट www.state.bihar.gov.in/prdbihar या नगर परिषद्, बखरी कार्यालय (मो0 नं0–9430245296, 9031669306 एवं 7004532698) से संपर्क किया जा सकता है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, बखरी

PR- 014132 (B & C) 2026-27

विस्तृत जानकारी वेबसाइट//state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

विद्युत कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
विद्युत भवन प्रमंडल, दरभंगा
भवन निर्माण विभाग
Email.ID:-eeedarbhanga@gmail.com, Mo.:-9264293063

अवधि विस्तार

अल्पकालीन ई0–निविदा आमंत्रण सूचना सं0–26/2026–27, जिसका पी0 आर0 सं0–012745 (भवन) 2026–27 द्वारा जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है, जिसमें निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :–

पूर्व में	संशोधित
ई0–निविदा जमा करने का (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समयः 22.10.2026 को 15:00 बजे अपराह्न तक।	ई0–निविदा जमा करने का (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समयः 02.11.2026 को 15:00 बजे अपराह्न तक।
ई0–निविदा की राशि का 2% EMD एवं हार्डकॉपी (मूल में) जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 23.10.2026 को 15:00 बजे अपराह्न तक।	ई0–निविदा की राषि का 2% EMD एवं हार्डकॉपी (मूल में) जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 03.11.2026 को 15:00 बजे अपराह्न तक।
ई0–निविदा की खोलने की तिथि एवं समयः 23.10.2026 को 15:30 बजे अपराह्न तक।	ई0–निविदा की खोलने की तिथि एवं समयः 03.11.2026 को 15:30 बजे अपराह्न तक।

शेष सभी विवरणी यथावत् रहेंगी।

विद्युत कार्यपालक अभियंता
विद्युत भवन प्रमंडल, दरभंगा

PR- 014150 (BCD) 2026-27

विस्तृत जानकारी वेबसाइट//state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

(नगर विकास एवं आवास विभाग)
कार्यालय नगर निगम, सहरसा
अति–अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना
(ई–टेंडरिंग द्वारा https://eproc2.bihar.gov.in), संख्या–20/2026-27

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : नगर आयुक्त, नगर निगम, सहरसा
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : 22.10.2026
3. टेंडर कागजात डाउनलोड करने/निविदा अपलोड करने प्रारम्भ की तिथि/समय : दिनांक 25.10.2026 के 10.30 बजे से (on https://eproc2.bihar.gov.in)
4. प्री बिड मीटिंग का समय स्थान /तिथि : दिनांक– 27.10.2026 के 10.00 बजे 2.00 बजे अपराह्न तक स्थान– कार्यालय नगर निगम, सहरसा ।
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि /समय : दिनांक 30.10.2026 के 3.00 बजे अपराह्न तक (on https://eproc2.bihar.gov.in)
6. वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय : दिनांक 31.10.2026 के 4.00 बजे अपराह्न के बाद (on https://eproc2.bihar.gov.in)
7. परिमाण विपत्र मूल्य– : online payment के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा। https://eproc2.bihar.gov.in
8. कार्य का विवरण :–

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	अग्रधन की राशि (रू० में)	परिमाण विपत्र का मुल्य (अप्रत्यर्पणीय)	Bid processing fee (Throughonline payment)(अप्रत्यर्पणीय)
	नगर निगम, सहरसा क्षेत्रान्तर्गत सभी वार्डों में अवस्थित कुल 95 छठ घाटों की साफ-सफाई कार्य। (छठ घाट के समतलि करण एवं पानी के अन्दर जलकुंभी के निस्तारण सहित साफ-सफाई का कार्य)	1,00,000 (एक लाख)	5000	As Pereproc2.0
	छठ घाटों पर तीन लेयर में अस्थायी रूप से बॉस-बल्ले से बैरिकेटिंग का अधिष्ठापन कार्य। सभी छठ घाटों पर छठ व्रतियों के लिए चेंजिंग कक्ष का निर्माण। छठ घाट से सड़क मार्ग तक लाईटिंग एंव झालर लाइट की लरिया लगाई जाये। अस्थायी शौचालय महिलाओ एंव पुरूषो के लिए अलग अलग बनाये जाएंगे।			
	छठ घाटों के समीप अस्थायी बॉस-बल्ले से निर्मित होर्डिंग बोर्ड फ्लैक्स के साथ अधिष्ठापन कार्य।			

9. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
10. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट https://eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

नगर आयुक्त
नगर निगम, सहरसा

PR- 014179 (B & C) 2026-27

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

न्यायालय में,
श्रीमान् सबजज साहब-7
मोकाम वो जिला-गोपालगंज
बंटवारा वाद सं.-341 सन् 2024
श्री भगवान गिरी.....मुदई
बनाम
राजनारायण गिरी वो.....मुदालहम
नोटिस बनाम:–

1) राजनारायण गिरी उम्र 40 वर्ष वल्द स्व. विश्वनाथ गिरी 2) संध्या देवी, उम्र 36 वर्ष, पति-राजनारायण गिरी 3) सरस्वती देवी उम्र 30 वर्ष पिता स्व. येशन गिरी, सभी साकिनान अहीरवलिया, पोस्ट-धार्मपरसा, परगना-सिपाह, थाना-बांझागढ़, जिला-गोपालगंज 4) छट्ठू गिरी उम्र 40 वर्ष वल्द स्व. राजबालम गिरी 5) रामअयोध्या गिरी उम्र 50 वर्ष, वल्द स्व. राजबलम गिरी, दोनों साकिनान अलालपुर लडौली, पोस्ट-विशुनपुरा बाजारा, थाना-सिधवलिया, जिला-गोपालगंज.....मुदालहम

चूं, उपरोक्त मुदई ने आपके खिलाफ उक्त वाद दाखिल किया है, जिसमें आपके ऊपर नोटिस वो रजिस्टर्ड कभर के द्वारा सम्मन की पैरवी करने के बावजूद आप मेरे न्यायालय में उपस्थितनहीं हुए हैं।

अतः वजरिये इस प्रकाशन से आपलोगों को आगाह किया जाता है कि आप दिनांक 27.10.26 को मेरे न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर उचित पैरवी करें, अन्यथा आपके खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

इसे सख्त ताकिद जानें।
जारी दिनांक 13.10.26

श्रीमान् सबजज साहब-7
मोकाम वो जिला-गोपालगंज
9/614/26

ब-
अदालत अडिशनल जिला सब जज-3
मो. छपरा (सारण)
सिविल मिसलेनियस अपील
वाद सं.-07/2026
पंकज मिश्रा.....अपीलांट
बनाम
संजीव कुमार पाण्डेय वगैरह.....
.....रेस्पॉण्डेन्ट
नोटिस बनाम:–

(1) संजीव कुमार पाण्डेय पिता स्व. जयनंदन पाण्डेय (2) रेणु देवी पुत्री स्व. प्रेमचंद मिश्रा (3) रानी देवी पुत्री स्व. प्रेमचंद मिश्रा (4) निर्मला देवी पुत्री स्व. प्रेमचंद मिश्रा (5) यश मिश्रा पुत्र स्व. जयंत रंजन उर्फ रंजन मिश्रा (6) मुसमात राखी चौबे पति स्व. जयंत रंजन उर्फ रंजन मिश्रा (7) सतीश चन्द्र पिता स्व. रामदेव मिश्रा साकिन ग्राम-राईपटी, डाकघर-दिघवारा, थाना-दिघवारा, जिला-सारण-841207.
.....रेस्पॉण्डेन्ट

चूं, मुदालहम/अपीलांट ने उपरोक्त वाद आपलोगों के खिलाफ न्यायालय में दायर किये हैं जिसमें मेरे न्यायालय से नजारत वो डाकघर से नोटिस सम्मन निर्गत हुआ है, जो आपलोगों के ऊपर तामिल हुआ है। उसके बाद भी आपलोग मेरे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस समाचार पत्र के माध्यम से आपलोगों को सूचित किया जाता है कि आपलोग 26.10.26 समय दिन 11 बजे मेरे न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जो भी उज एतराज करना हो वो करें, वरना आपलोगों के खिलाफ एकपक्षीय सुनवाई प्रारंभ कर दिया जायेगा।

यह नोटिस मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से आज दिनांक 18.09.2026 को निर्गत किया जाता है।

अडिशनल जिला जज-03
छपरा (सारण)

बिहार सरकार
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना
प्रेस विज्ञप्ति

श्री नवल किशोर सिंह, पट्टीबंधक, पशु शल्य चिकित्सालय, दानापुर के विरूद्ध बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 1079 (नि०), दिनांक–25.03.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम (जाँच प्रतिवेदन) के पश्चात् पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–2777(नि०), दिनांक–02.07.2026 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु श्री सिंह को निदेशित किया गया तथा पुनः पत्रांक 3610(नि०), दिनांक–21.08.2026 द्वारा स्मारित भी किया गया। परन्तु श्री सिंह का द्वितीय लिखित अभिकथन अबतक अप्राप्त है।

अतएव इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री सिंह (सम्प्रति सेवानिवृत) को निदेशित किया जाता है कि विज्ञप्ति प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित अभिकथन समर्पित करें। यदि निर्धारित अवधि में आपका लिखित अभिकथन प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं कार्यालय बाध्य होकर एक पक्षीय निर्णय लेने हेतु स्वतंत्रा होगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।

अपर निदेशक (प०उ०)
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

PR- 014146 (Animal & Fish) 2026-27

विस्तृत जानकारी वेबसाइट//state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

बिहार सरकार
जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नालन्दा
जलाशय बन्दोबस्ती की खुली डाक की सूचना
अति आवश्यक अल्पकालीन आम सूचना
प्रपत्र प्रारूप– 01

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला मत्स्य कार्यालय, जिला– नालन्दा के अस्थावाँ अंचल में स्थित कुल्टी छिलका जलाशय एवं एकंगरसराय राढ़िल छिलका जलाशय की बन्दोबस्ती वर्ष 2026 से 2031 तक (30.06.2031)।

अर्थात 05 वर्षों के लिए बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति–2022 के कंडिका–06 में उल्लेखित तथा बिहार जलाशय मात्स्यिकी प्रबंधन हेतु दिशा–निर्देश ज्ञापांक 183 दिनांक 25.01.2023 तथा निदेशक मत्स्य बिहार, पटना के आदेशांक 1894 दिनांक 14.09.2023 के आलोक में जलाशय की बन्दोबस्ती खुली डाक से जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा निम्नलिखित तिथियों को सुरक्षित तिथि सहित समय 11:00 बजे पूर्वाहन से 5:00 बजे अपराहन तक जिला मत्स्य कार्यालय नालन्दा में की जाएगी।

बन्दोवस्ती की तिथि, डाक स्थल, सुरक्षित जमा राशि विवरणी निम्न है:

क्र	जिला का नाम	अंचल का नाम	जलाशय का नाम	जलाशय का जलक्षेत्र (हे0)	डाक की तिथि	डाक स्थल	सुरक्षित जमा की राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नालन्दा	अस्थावाँ	कुल्टी छिलका	1.85	12.11.2026 मुख्य तिथि एवं 18.11.2026 सुरक्षित तिथि	11:00 बजे पूर्वा से 5:00 बजे तक	1530.00
2	नालन्दा	एकंगरसराय	राढिल छिलका	1.53	12.11.2026 मुख्य तिथि एवं 18.11.2026 सुरक्षित तिथि	11:00 बजे पूर्वा से 5:00 बजे तक	1850.00

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नालन्दा

PR. No. 014134 (Animal) 2026-27

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें।

बिहार सरकार
नगर निगम, गयाजी
ई–निविदा आमंत्रण सूचना सं0– 26/2026–27
(ई–टेंडरिंग द्वारा https://eproc2.bihar.gov.in)

1. विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता : नगर आयुक्त, गया नगर निगम
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक– 22.10.2026
3. निविदा प्रारम्भ करने की तिथि/समय : दिनांक– 06.11.2026 को 10:00 बजे से (on website https://eproc2.bihar.gov.in)
4. प्री बिड मीटिंग का समय स्थान/तिथि : समय 11:00 बजे, स्थान–कार्यालय, गया नगर निगम दिनांक– 06.11.2026
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय : दिनांक– 12.11.2026 के 15:00 बजे तक (on website https://eproc2.bihar.gov.in)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय : दिनांक–12.11.2026 के 15:30 बजे से (on website https://eproc2.bihar.gov.in)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय : तकनीकी बीड निष्पादन के बाद (on website https://eproc2.bihar.gov.in)
8. कार्य का विवरण:–

ग्रुप सं0	नगर निकाय का नाम	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (Non refundable)	Bid Processing Fee (Through Online Payment)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nagar Nigam, Gayaji	Construction of ABC Centre, Dog Shelter (100 Kannels) and Boundary Wall under Nagar Nigam, Gayaji.	1,46,23,200	2,92,500	10000	As per eproc 2.0	06 Month

नोटः– Bidders Should submit Bid Processing fee thorugh Online Payment as per Amoun generated on Website www.eproc2.bihar.gov.in

9. निविदा की वैद्यता अवधि : 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)

नगर आयुक्त
नगर निगम, गयाजी

PR. No. 014209 (B&C) 2026-27

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें।